द्वारा ई–मेल/फैक्स/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याः /अठ्ठारह–एएसआई(लेखा)–271–2016 दिनांकःजुलाई 30,2016

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा चयन वर्ष–2014 की रिक्तियों के सापेक्ष दिनॉकः21.03.2016 से 29.03.2016 तक हुई प्रोन्नति चयन समिति की बैठक में अपूर्ण सेवाभिलेखों के कारण पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थगित 07 प्रकरणों पर दिनॉकः25.07.2016 को पुनः विचार किया गया, जिसमें 05 पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) को पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के पद पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त इन्हें तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नवत् अंकित है:–

कमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	जनपद/वाहिनी	परिक्षेत्र/अनुभाग	चयन का वर्ष
1	782412291	कृष्ण कुमार	श्री रामकुमार	15-05-59	UAO	लखनऊ परिक्षेत्र	2014
2	860651099	इरफान अहमद सिद्दीकी	स्व0 शेख मोहम्मद सिद्दीकी	10-12-66	LKW	लखनऊ परिक्षेत्र	2014
3	880670010	कमरूज्जमा खॉ	जुम्मन खॉ	01-07-62	KNC	कानपुर परिक्षेत्र	2014
4	920840016	सुनील कुमार श्रीवास्तव	शिव प्रसाद श्रीवास्तव	15-07-72	GRP ALD	—	2014
5	952290649	रेखा शर्मा	कृष्ण कुमार	15-07-74	HPR	मेरठ परिक्षेत्र	2014

2. पदोन्नति पाये उपरोक्त समस्त पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम–5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझाा जायेगा। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायेगें।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों।

---/80

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) को पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक– प्रोन्नति सूची
एवं प्रारूप (क)

(ए0के0 शुक्ल) 30/07
पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक,मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय,इलाहाबाद।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवे, इलाहाबाद।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र मेरठ/लखनऊ/कानपुर।
5. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जनपद उन्नाव/लखनऊ/हापुड/कानपुरनगर/।
6. पुलिस अधीक्षक, रेलवे, इलाहाबाद ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0 लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः–

1.. अनुभाग अधिकारी–20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को शासकीय गजट के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के हेतु।

(ए0के0 शुक्ल)
पुलिस उप महानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।